<u>न्यायालय–सत्र न्यायाधीश,कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव.छ०ग०</u>

(पीठासीन अधिकारी–ओंकार प्रसाद गुप्ता)

<u>आपराधिक पुनरीक्षण क्र०–01/2018</u>

<u>संस्थित दिनांक–09/01/2018</u>

राजेश सिंह राणा पिता अजीत सिंह राणा, उम्र–37 वर्ष,
पदस्थापना पूर्व जिला पंचायत अधिकारी, नारायणपुर
वर्तमान कलेक्टर बलौदाबाजार,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ०ग०) ....पुनरीक्षणकर्ता/ आरोपी

// विरूद्ध//

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ,
जिला दण्डाधिकारी नारायणपुर,
जिला–नारायणपुर, (छ०ग०) .... उत्तरवादी क्र.1/अभियोजन
2. श्रीमती सरिता सोनी पत्नि आर.पी.सोनी,
मंगला चौक, लाफागढ़ गैस एजेंसी के पास,
स्थान एवं जिला बिलासपुर, (छ०ग०) .... उत्तरवादी क्र.2

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारायणपुर (छ०ग०) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्र. 200/2017, पक्षकार छ०ग० राज्य विरूद्ध राजेश सिंह राणा एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06/11/2017 से उदभुत आपराधिक पुनरीक्षण।

पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी द्वारा श्री बी.पी.ठाकुर, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्र.1/ राज्य द्वारा श्री अशोक चौहान, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
उत्तरवादी क्र.2 अनुपस्थित।

// आदेश //

(आज दिनांक को घोषित)

01. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी ने धारा–397,399 द०प्र०सं० के तहत यह

पुनरीक्षण याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारायणपुर (छ०ग०) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक– 200/2017, पक्षकार छ०ग० राज्य विरूद्ध राजेश सिंह राणा एवं अन्य, में पारित आदेश दिनांक 06/11/2017 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं कुछ अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा०द०वि० के तहत कार्यवाही का पर्याप्त आधार पाकर मामला पंजीबद्ध करने का आदेश दिया।

02. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आर.पी.सोनी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नारायणपुर में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 16/8/2012 को शाम करीब 5:30 बजे आर.पी.सोनी ने अपने शासकीय अवास बंगलापारा, नारायणपुर में स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पेट्रोल से मृतक के घर में आग लग गयी। तत्कालीन निरीक्षक पी.पी.सिंह, थाना नारायणपुर को सूचना मिली, तो वह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। उसने पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर मृतक की लाश जली हुई अवस्था में पड़ी थी, साथ ही एक सुसाईड नोट बरामद हुआ। निरीक्षक पी.पी.सिंह ने घटनास्थल पर ही मर्ग क्र.0/12 धारा 174 द.प्र.सं. दर्ज किया। निरीक्षक पी.पी.सिंह ने मर्ग जांच में शव का पोस्टमार्टम करवाया, गवाहों के कथन लिये, कुछ संपत्तियां जप्त की। जांच के आधार पर यह पाया गया कि तत्कालिन जिला पंचायत

सी.ई.ओ. (पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी) ने शासन की स्वीकृति के बिना आफिसर्स क्लब में लान टेनिस का कोर्ट एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सहआरोपी/ठेकेदार गौतम जैन एवं मुकेश जैन से करवाया, इस कार्य के भुगतान हेतु वह सबइंजिनीयर एम.एल.नाग के माध्यम से मृतक पर लगातार दबाव बना रहा था, इसके अतिरिक्त मृतक का स्थानांतरण कांकेर हो जाने के बाद भी उसे रिलीव नही कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर मृतक ने आत्महत्या की थी। निरीक्षक पी.एल. तिर्की, थाना नारायणपुर ने मर्ग जांच के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं कुछ अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. का अपराध बनने से दिनांक 1/2/2014 को अपराध क्र.15/2014 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।

03. अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नारायणपुर ने जांच कर पुलिस अधीक्षक नारायणपुर को यह प्रतिवेदन दिया कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं कुछ अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. का अपराध् बनता है। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के आदेश पर गोरखनाथ, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस छोटेडोंगर, ने अनुसंधान कर यह रिपोर्ट दी कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए प्रकरण में खारिजी की जाये। जिसके आधार पर थाना प्रभारी नारायणपुर ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष खारिजी

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

04. विद्वान मजिस्ट्रेट ने खारिजी प्रतिवेदन स्वीकार न कर मृतक की पत्नि पीड़िता श्रीमती सरिता सोनी एवं कई अन्य गवाहों के कथन लिये, अतिरिक्त अनुसंधान का निर्देश देकर थाना प्रभारी नारायणपुर से धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत पूरक अभियोग पत्र प्राप्त किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आलोच्य आदेश के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं तत्कालीन सबइंजीनियर एम.एल.नाग, तकनीकी समन्वयक जिला पंचायत नारायणपुर, ठेकेदार गौतम कुमार जैन एवं मुकेश कुमार जैन के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही का पर्याप्त आधार पाकर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

05. पुनरीक्षण का आधार एवं तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान मजिस्ट्रेट का आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध है। पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरूद्ध ऐसा कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. का अपराध बनता हो। पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी ने राज्य शासन के निर्देश पर एक लोक सेवक के हैसियत से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मृतक के विरूद्ध जांच की, इसलिए उसका कार्य धारा 21 भा.द.वि. के तहत संरक्षित है, साथ ही धारा 76 भा.द.वि. के तहत अपवाद की श्रेणी में आता

है। विद्वान मजिस्ट्रेट, विवेचना अधिकारी की जांच से असंतुष्ट थे तो पुनः पुलिस अधीक्षक नारायणपुर से जांच करवा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा न कर प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से अधिक श्रेष्ठ शासकीय दस्तावेजी साक्ष्य है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने विश्वास न कर त्रुटि की है। पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लोकहित में कार्य किया है, जिससे मृतक ने व्यथित होकर आत्महत्या की है, इसके आधार पर धारा 306 भा.द.वि. का अपराध नहीं बनता। ठेकेदार गौतम जैन एवं मुकेश जैन ने शासकीय स्वीकृति के बिना सिंचाई विभाग के ऑफिसर्स क्लब में निर्माण कार्य किया है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी पंचायत विभाग का सी.ई.ओ. था। उसका कार्य मृतक के विभाग से संबधित नहीं था।

06. पुनरीक्षण का आधार एवं तर्क आगे इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच करवाकर जो निष्कर्ष दिया है उसके विरूद्ध विद्वान मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष मनगढंत एवं स्वेच्छारिता पूर्वक है। विद्वान मजिस्ट्रेट को अनुसंधान में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने अनुसंधान में हस्तक्षेप किया। मृतक की पत्नि ने मृतक को शुगर का पेंसेंट होने, छुट्टी न मिलने, ठेकेदार एवं इंजीनियरों के द्वारा परेशान करने तथा स्थानांतरण होने के बाद भी भारमुक्त न करने के आधार पर आत्महत्या करना बताया है। जिसके लिए

पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी जिम्मेदार नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आई.ए.एस. अधिकारी है,इसलिए उसके विरूद्ध अभियोजन संक्षिप्त करने के लिए धारा 197 द.प्र.सं. के तहत शासन की अनुमति आवश्यक है। अतः उक्त आधारो पर विद्वान मजिस्ट्रेट का आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण है, इसलिए पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरूद्ध विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश को अपास्त किया जाये।

07. अतिरिक्त लोक अभियोजक का तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने विधि अनुसार कार्यवाही कर पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं अन्य आरोपियों के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. का अपराध बनने से मामला पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से खारीज की जाये।

08. उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये, लिखित तर्क का अवलोकन किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

09. प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है कि " क्या विद्वान मजिस्ट्रेट ने आलोच्य आदेश पारित करने में तथ्य एवं विधि संबंधी त्रुटि की है। ”

निष्कर्ष के आधार

10. प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि आर.पी.सोनी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, नारायणपुर में कार्यपालन यंत्री के रूप में पदस्थ थे। जिन्होने दिनांक 16/8/2012 को शाम 5:30 बजे अपने शासकीय निवास स्थान नारायणपुर में स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाईड नोट छोड़ा था, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि "सी.ई.ओ. श्री राणा साहब 3.50 लाख का अवैध भुगतान गौतम जैन को करवाने हेतु बार–बार दबाव बना रहा था, खुद आफीसर्स क्लब में एवं जाने कहां–कहां कार्य करवाया एवं भुगतान अवैध रूप से शासकीय राशि से करवा रहा था एवं भुगतान न करने पर रिलीव नहीं करूंगा ऐसा कहा जा रहा था, इस कारण मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ गई एवं मुझे आत्महत्या हेतु बाध्य होना पड़ा"। उक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि मृतक ने पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का उल्लेख किया था।

11. मृतक की पत्नि श्रीमती सरिता सोनी के कथनों से भी यह प्रकट है कि मृतक अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी पत्नि को यह बताता था कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं सबइंजीनियर एम.एल.नाग गलत प्रशासनिक कार्य का भुगतान करने हेतु दबाव बनाकर प्रताड़ित करते थे, उससे पैसो की मांग करते थे एवं पैसा न देने पर उसे सस्पेंड करने, जेल भेजने, बर्बाद करने, गलत काम में फंसाने की धमकी देते थे, मृतक का स्थानांतरण हो जाने के बावजूद

पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी, मृतक से यह बोलता था कि पैसा लेने के बाद ही रिलीव करेगा, इन सब बातो से मृतक शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित था, जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या की है, इसके जिम्मेदार पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं सहआरोपी है। अतः प्रथम दृष्टया मृतक की पत्नि के कथन से भी यह प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी की एवं अन्य आरोपियों की उक्त प्रताड़ना से तंग आकर मृतक ने आत्महत्या की थी।

12. मृतक के विभाग के अन्य साथी अमित गुलहरे SDO, व्ही.एस.खलको SDO, अशोक चौधरी उप–अभियंता, पवन देवांगन वाहन चालक, जय किशोर एवं कमलेश सोरी डॉटा एंट्री ऑपरेटर, रमेश देवांगन सहायक गेड–तीन, ने भी अपने–अपने कथनों में मुख्यतः उक्त कथनों का समर्थन करते हुए कहा है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी ने मौखिक निर्देश देकर बिना शासन की स्वीकृति के आफिसर्स क्लब के लान टेनिस कोर्ट तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाया, पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी उक्त निर्माण कार्य के भुगतान के लिये अवैध रूप से मृतक पर दबाव बनाता था, मृतक का ट्रांसफर हो चुका था, किंतु उसे रिलीव नहीं किया गया था, जिससे मृतक परेशान होकर आत्महत्या किया। जिससे भी प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी तथा अन्य आरोपियों की प्रताड़ना से तंग आकर मृतक ने आत्महत्या की थी।

13. प्रकरण में यह तथ्य भी विद्यमान है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के मौखिक निर्देश पर बिना शासन की स्वीकृति के ऑफीसर्स क्लब में लान टेनिस का कोर्ट एवं बाउण्ड्री वॉल बनवाया गया था, जिसके भुगतान के लिए पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं सह आरोपी, मृतक पर लगातार दबाव बनाते थे। उक्त कार्य की शासन से स्वीकृति मृतक के आत्महत्या करने के बाद हुई थी। इससे भी प्रथम दृष्टया उक्त तथ्यों को बल मिलता है।

14. प्रकरण में यह तथ्य भी विद्यमान है कि मृतक के विरूद्ध उसके मृत्यु दिनांक तक कोई अनियमितता की शिकायत/जांच लंबित नहीं थी, बल्कि मृतक के आत्महत्या करने के दूसरे दिन पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी ने मृतक के कार्य की शिकायत की थी। इससे भी प्रथम दृष्टया उक्त तथ्य को बल मिलता है।

15. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि आपराधिक मामलो की जांच करवाना पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य है, जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरखनाथ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस छोटेडोंगर से जांच करवायी थी, जिसने खारिजी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, इस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने ध्यान न देकर त्रुटी की है। यह उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी नारायणपुर निरीक्षक पी.पी. सिंग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नारायणपुर ने अपनी रिपोर्टो में पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं अन्य आरोपियो के विरूद्ध धारा

306 सपठित 34 भा.द.वि. का मामला बनना पाया है। इससे पृथक रिपोर्ट गोरखनाथ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस छोटेडोंगर ने दी है। यह मामला एक आई.ए.एस अधिकारी से जुड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया यह देखा जाना है कि क्या कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है या नही। इस स्तर पर उक्त विरोधाभाषी रिपोर्टो को देखते हुए किसी एक की रिपोर्ट अंतिम रूप से स्वीकार कर कोई निष्कर्ष नही निकाला जा सकता। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं अन्य आरोपियो के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही के पर्याप्त आधार मौजूद है। अतः उक्त तर्क गुणरहित है।

16. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का एक तर्क यह था कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा खारिजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अनुसंधान में दखल देते हुए गलत प्रक्रिया अपनायी है, इसलिये आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में उन्होंने न्यायदृष्टांत **वसंती दुबे विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य** 2012 (2) **MPJR** (**SC**) 217 पर भरोसा किया है। जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आरोप पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, तब यह निर्धारित किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट को पुलिस को आरोप पत्र पेश करने का निर्देश देने की शक्ति नही है। इस मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आरोप पत्र पेश करने का निर्देश नही दिया है। अतः परिस्थितियां भिन्न है, इसलिये उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ

पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी को प्राप्त नही होता।

17. प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जिन तथ्यो के आधार पर पुलिस ने खारिजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उन्ही तथ्यो के आधार पर ही पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही के पर्याप्त आधार मौजूद है, अलावा इसके विद्वान मजिस्ट्रेट ने खारिजी का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद पीड़िता/मृतक की पत्नी सहित कुछ गवाहो के कथन लिये, कुछ बिंदुओ पर अतिरिक्त अनुसंधान के निर्देश दिये थे, पुनः कुछ गवाहो के कथन लिये है, इसके उपरांत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया को धारा 200, 202 द.प्र.सं. के प्रावधानो को देखते हुए अवैध नही ठहरायी जा सकती।

18. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायदृष्टांत **प्रबल डोगरा विरूद्ध पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं अन्य 2018 (1) MPJR 139** पर भरोसा किया है, जिसमें यह व्यवस्था दी गयी कि अन्वेषण प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नही किया जा सकता, न्यायालय अन्वेषण अधिकारी को निर्देश जारी नही कर सकता कि वह विशिष्ट बिंदु पर प्रकरण का अन्वेषण करे। उन्होंने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश पत्र दिनांक 14/01/2016 में कई बिंदु बनाकर पुलिस को अनुसंधान का निर्देश दिया है,

इसलिये आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उपर विवेचन अनुसार न्यायालय ने यह पाया है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत खारिजी प्रतिवेदन के आधार पर ही पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही के पर्याप्त आधार है। तब ऐसी स्थिति में विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 14/01/2016 के आधार पर आलोच्य आदेश अपास्त नही किया जा सकता। अतः उक्त तर्क गुणरहित है।

19. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का एक तर्क रहा कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आई.ए.एस. अधिकारी है, इसलिये धारा 197 द.प्र.सं. के तहत शासन की अनुमति के बिना अभियोजन संस्थित नही हो सकता। न्यायालय को यह प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी की ओर से विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष इस संबंध में कोई आपत्ति नही उठायी गयी, इसलिये सीधे पुनरीक्षण स्तर पर उस आपत्ति पर विचार नही हो सकता, जिसपर विद्वान मजिस्ट्रेट ने कोई निष्कर्ष न दिया हो। अतः इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति उठा सकता है। इस स्तर पर उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य नही है।

20. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि मात्र मृतक के सुसाईड नोट में उसका नाम लिखे होने के आधार पर उसके विरूद्ध धारा 306 भा.द.वि. के

तहत कार्यवाही का आधार नही है। उन्होंने न्यायदृष्टांत **मनीकंडन विरूद्ध राज्य Crl.A. (MD) No** 142/2016 **आदेश दिनांक** 16/06/2016 **मदुरई बेंच मद्रास हाईकोर्ट, हिरालाल एवं अन्य विरूद्ध राजस्थान राज्य** 2017(3) **CCSC** 1424(**SC**) पर भरोसा किया है। मनीकंडन (उपर) के मामले में यह कहा गया कि जब को्ई व्यक्ति आत्महत्या करता है और सुसाईड नोट में इसके लिये किसी का नाम लिखकर उसे जिम्मेदार ठहराता है, तो मात्र उस व्यक्ति का नाम लिखे होने के आधार पर तत्काल इस निष्कर्ष पर नही पहुंचना चाहिए कि वह धारा 306 भा.द.वि. का अपराधी है। न्यायदृष्टांत हिरालाल (उपर) के मामले में यह कहा गया कि जब आरोपीगण को धारा 498(A) के आरोप से दोषमुक्त किया गया, किंतु धारा 306 भा.द.वि. के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया, तब आरोपीगण को क्रुरता के आरोप से दोषमुक्त करने के पश्चात मात्र तंग करने के आधार पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध में दोषसिद्ध नही ठहराया जा सकता। न्यायालय को यह प्रकट होता है कि उक्त दोनो मामलो में मामले के गुण–दोषो पर विचार करने के उपरांत उक्त निष्कर्ष दिये गये थे। जबकि इस मामले में इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह देखना है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही के पर्याप्त आधार है या नही। अलावा इसके मृतक के सुसाईड नोट के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य मौजूद है, जो प्रथम दृष्टया यह प्रकट कर रही है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के

विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही के पर्याप्त आधार है। अतः परिस्थितियां भिन्न होने से उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी को प्राप्त नही होता।

21. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायदृष्टांत **किशनलाल विरूद्ध धर्मेन्द्र बाफना एवं अन्य Crl Apeal No**. 1283/2009 आदेश दिनांक **21/07/2009** पर भरोसा किया है। जिसकी परिस्थितिया इस प्रकरण से भिन्न है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी को प्राप्त नही होता।

22. अतः उक्त विवेचन उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आलोच्य आदेश के द्वारा खारिजी प्रतिवेदन को अस्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी एवं अन्य आरोपियो के विरूद्ध धारा 306 सपठित 34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही का पर्याप्त आधार पाकर मामला दर्ज करने का आदेश देने में कोई तथ्य एवं विधि संबंधि त्रुटी नही की है। अतः पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से अपास्त की जाती है, विद्वान मजिस्ट्रेट के आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

स्थान–कोण्डागांव.
दिनांक–23/07/2018

(ओंकार प्रसाद गुप्ता)
सत्र न्यायाधीश
कोण्डागांव.